प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना–एक दृष्टि

फसल बीमा किसानों की फसलों से जुड़े जोखिम की वजह से हो सकने वाले नुकसान से बचाव करने का माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आये जोखिम या खराब मौसम से फसल में हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2016 से लागू किया गया है। इस योजना में अब सभी फसलों के लिए खरीफ में ज्यादा से ज्यादा 2 फीसदी और रबी में ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीसदी बीमा दर रखी गई है। इसके अलावा वार्षिक बागवानी/व्यावसायिक फसलों के लिए प्रीमियम की दर बीमाकृत राशि का ज्यादा से ज्यादा 5 फीसदी निर्धारित की गई है। इस योजना में सभी किसानों के लिए एक समान रूप में निर्धारित प्रीमियम तथा बिना कटौती या कमी के पूर्ण क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

यह योजना सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है। अतः इस योजना में सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। बीमांकिक प्रीमियम और किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर के बीच अंतर को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा तय किए गए क्षेत्र में निर्धारित फसल, जो कि अनाज, खद्यान्न, तिलहन, वार्षिक व्यावसायिक और बागवानी फसलें हो सकती हैं, उगाने वाले वाले किसान बीमा करा सकते हैं। नई बीमा योजना निर्धारित किए गए क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) खाताधारक किसानों (जिन्हें ऋणी किसान कहा जाता है) के लिए अनिवार्य है तथा अन्य सभी किसान अगर चाहें तो बीमा का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जोखिम शामिल किए गए हैं:

1. **उपज नुकसान के आधार पर** – इस योजना में आग लगने के अलावा बिजली गिरने, तूफान, ओला पड़ने, चक्रवात, अंधड़, बवंडर, बाढ़, जलभराव, जमीन धंसने, सूखा, खराब मौसम, कीट एवं फसल को होने वाली बीमारियों आदि जोखिम से फसल में होने वाले नुकसान को शामिल करके एक ऐसा बीमा कवर दिया जाता है जिसमें इनसे होने वाले सारे नुकसान से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

2. **संरक्षित बुआई के आधार पर** – अगर किसान बुआई/रोपाई के लिए खर्च करने के बावजूद खराब मौसम की वजह से बुआई/रोपाई नहीं कर सकते तो वे बीमाकृत राशि के 25 प्रतिशत तक नुकसान का दावा ले सकते हैं।

3. यदि फसल के मध्य में ही 50 प्रतिशत फसल की हानि हो जाती है तो तत्काल राहत के रूप में संभावित दावों का 25 प्रतिशत तक भुगतान अग्रिम रूप से किया जायेगा।

4. जब फसल उपज अधिसूचित फसल की गारंटीशुदा उपज से कम हो, तब सभी बीमाकृत किसानों को उपज स्तर में कमी के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान देय होगा।

5. फसल कटाई के बाद रखी फसल को 14 दिनों के अन्दर चक्रवात, बेमौसम वर्षा और स्थानीय आपदा जैसे ओलों, जमीन धंसने और जल भराव से होने वाले नुकसान का अंदाजा प्रभावित खेत के आधार पर किया जाता है और इसके अनुसार किसानों के नुकसान का आंकलन करके दावे तय किये जाते हैं।

इस योजना में स्मार्टफोन से फसल कटाई आंकलन की तस्वीरें खींचकर सर्वर पर अपलोड की जाती हैं जिससे फसल कटाई के आंकड़े जल्द से जल्द बीमा कंपनी को मिल सकें। इससे दावों का भुगतान करने में लगने वाले समय को काफी कम किया गया है। सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) और ड्रोन जैसी तकनीक के उपयोग से फसल कटाई प्रयोग की संख्या को कम करने और नुकसान का सही आंकलन करने की व्यवस्था है।

इस योजना के अन्तर्गत बैंक, केसीसी खाताधारक किसानों के लिए जरूरी प्रीमियम, बीमा कम्पनियों के पास अपने आप भेज देते हैं और उन किसानों की फसल का बीमा हो जाता है। अन्य सभी किसान निकटतम बैंक या निर्धारित की गई बीमा कंपनी के स्थानीय एजेंट को प्रीमियम का भुगतान करके फसल बीमा करा सकते हैं। मुख्य फसलों के लिए बीमा इकाई ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर होगी जबकि अन्य फसलों के लिए बीमा इकाई राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी और यह ग्राम/ग्राम पंचायत से बड़े आकार की भी हो सकती है। इस योजना के अन्तर्गत बीमाकृत राशि जिला स्तर तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा उस फसल के लिए निर्धारित वित्त पैमाने के बराबर होगी।

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
संकलन एवं सम्पादनः डॉ. अनिल कुमार, डॉ. चन्द्रभानु एवं डॉ. आजाद सिंह पंवार
प्रकाशनः निदेशक, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
फोनः 0121–2888711, 2888611 **फैक्सः** 0121–2888546
ई मेलः directoriifsr@yahoo.com **वेबसाइटः** www.iifsr.res.in